न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 26/2019

निर्णय दिनांक :– 30.12.19

1. मुस्ताक पुत्र युसुफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ
2. मोहम्मद खां पुत्र युसुफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ
3. श्रीमती नजमा पत्नी मुस्ताक जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ

... वादीगण

बनाम

1. दाउद पुत्र युसुफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ जिला चूरू
2. सबीर पुत्र युसुफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ जिला चूरू
3. लियाकत पुत्र युसुफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी रतनगढ जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

...प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री परमानन्द भाभूं, अभिभाषक वादीगण
2. श्री हरिशकुमार जसैल अभिभाषक प्रतिवादी प्रति. सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज

दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 24.7.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। वादगत भूमि ख.नं. 164 तादादी 3.5157 हैक्टर रोही कस्बा रतनगढ में स्थित है। जिसमें वादी संख्या 01 मुस्ताक का 7/20 हिस्सा व वादी सं. 3 नजमा का 1/4 हिस्सा कुल 3/5 हिस्सा की भूमि पूर्वी ओर की तथा वादी सं. 2 मोहम्मद खां की 1/10 हिस्सा भूमि सबसे पश्चिमी ओर की, प्रतिवादी सं. 01 दाउद के 1/10 हिस्सा में मोहम्मद खां के पूर्वी तरफ चिपती, प्रतिवादी सं. 2 सबीर के 1/10 हिस्सा में दाउद के पूर्वी तरफ की चिपती तथा प्रतिवादी सं. 3 लियाकत के 1/10 हिस्से की सबीर के पूर्वी ओर की भूमि रखी गई थी। तहसीलदार, रतनगढ

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

से मौके की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार की ओर से दिनांक 11.12.2019 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

2. विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नही की है। तथा रेकार्डेड हिस्से का मौके के कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा वादी अतिंम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अतिंम रूप से डीक्री किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं नियमानुसार लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षैत्रफल है. में	किस्म
1.	मोहम्मद पुत्र युसुफ जाति चेजारा निवासी रतनगढ खातेदार	164 मीन पश्चिमी	0.3515	बा.सो.
2.	दाउद पुत्र युसुफ जाति चेजारा निवासी रतनगढ खातेदार	164 मीन मध्य पश्चिम	0.3515	बा.सो.
3.	सबीर पुत्र युसफ जाति चेजारा निवासी रतनगढ खातेदार	164 मीन मध्य	0.3515	बा.सो.
4.	लियाकत पुत्र युसुफ जाति चेजारा निवासी रतनगढ खातेदार	164 मीन मध्य पूर्वी	0.3515	बा.सो.
5.	मुस्ताक पुत्र युसुफ 7/12 हि. नजमा पत्नि मुस्ताक 5/12 हि. जाति चेजारा निवासी रतनगढ खातेदार	164 मीन पूर्वी	2.1097	बा.सो.

तहसीलदार रतनगढ डिक्री का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अतिंम पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.12.19 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 13:35:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: